न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/25/2024	12–06–2024	02.04.2025

1–सरकार जर्ये प्रशान्त यादव प्रवर्तन निरीक्षक तिजारा मुख्यालय अलवर हाल, खैरथल–तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

(प्रार्थी)

बनाम

2–वहीद खॉ पुत्र दीनमोहम्मद निवासी ग्राम धीरियाबास तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

(अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत क्षमता 14.02 किलोग्राम के 14 एलपीजी सलेण्डर्स को राजसात किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1–विभागीय प्रतिनिधि — जिला रसद अधिकारी

––:: निर्णय ::––

रणधीर सिंह प्रवर्तन निरीक्षक तिजारा मुख्यालय अलवर हाल, खैरथल–तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 तहत क्षमता 14.02 किलोग्राम के 14 एलपीजी सलेण्डर्स को राजसात किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है, कि दिनाक 19.04.2012 को पुलिस थाना टपूकडा से घरेलू गैस सिलेण्डर्स के अवैध क्रंय विक्रय किये जाने व 14 घरेलू गैस सिलेण्डर्स के पकडने की सूचना मिलने पर प्रवर्तन स्टॉफ का जॉच दल पुलिस थाना टपूकडा में वास्ते जॉच हेतु पहुचा। मौके पर अप्रार्थी वहीद खॉ पुत्र दीनमोहम्मद निवासी ग्राम धीरियाबास तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) द्वारा मारूति गाडी मारूति 800 रजि0 संख्या एच.आर. 28–ए–6556 में 14 घरेलू गैस सिलेण्डर्स भरे हुऐ पाये गये एच.पी.कम्पनी के जो घरेलू गैस सिलेण्डस का अवैध रूप से परिवहन करने, अवैध रूप से भण्डारण व खरीद फरोक्त में लिप्त पाए जाने एवं वक्त जॉच मौके पर उक्त 14 गैस सिलेण्डर्स के दस्तावेजावेज प्रस्तुत नही करने पर एलपीजी कन्ट्रोल ऑडर 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है, उक्त आदेश की अवहेलना पाये जाने पर मौके से 14 एलपीजी गैस सिलेण्डर्स भरे सीलशुदा को जप्त सरकार किया जाकर सुरक्षा की दृष्टि से एन.सी.आर. इण्डेन के प्रतिनिधि रफीक खान को सुपुर्दगी में दिया गया। मौके पर उक्त सभी घरेलू गैस सिलेण्डर्स से संबंधित गैस कागजात अप्रार्थी वहीद खॉ पुत्र दीनमोहम्मद निवासी ग्राम धीरियाबास तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) ने प्रस्तुत नही किये गये। उक्त कृत्य घरेलू गैस का दुरूपयोग किये जाने, घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैध रूप से परिवहन करने, अवैध रूप से भण्डारण व खरीद फरोक्त में लिप्त पाये जाने की संदेह श्रेणी मे आता है, जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन)

जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा

आदेश 2000 के प्रावधानो की स्पष्ट अवहेलना किया जाना साबित है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। प्रकरण में जप्तशुदा 14 घरेलू गैस सिलेण्डर्स क्षमता 14.02 किलोग्राम के भरे हुऐ सीलशुदा को राजसात किया जावे।

अप्रार्थीयान बावजूद सूचना के उपस्थित नही हुऐ, न ही उनके द्वारा जप्तशुदा सामग्री के उचित निस्तारण किये जाने हेतु कोई लिखित जवाब पेश किया गया है।

विभागीय प्रतिनिधी उपस्थित। बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए निवेदन किया कि दिनाक 19.04.2012 को पुलिस थाना टपूकडा से घरेलू गैस सिलेण्डर्स के अवैध कंय विकय किये जाने व 14 घरेलू गैस सिलेण्डर्स के पकडने की सूचना मिलने पर प्रवर्तन स्टॉफ का जॉच दल पुलिस थाना टपूकडा में वास्ते जॉच हेतु पहुचा। मौके पर अप्रार्थी वहीद खॉ पुत्र दीनमोहम्मद निवासी ग्राम धीरियाबास तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) द्वारा मारूति गाडी मारूति 800 रजि0 संख्या एच.आर.28–ए–6556 में 14 घरेलू गैस सिलेण्डर्स भरे पाया गया, जो घरेलू गैस सिलेण्डस का अवैध रूप से परिवहन करने, अवैध रूप से भण्डारण व खरीद फरोक्त में लिप्त पाए जाने एवं वक्त जॉच मौके पर उक्त 14 गैस सिलेण्डर्स के दस्तावेजावेज प्रस्तुत नही करने पर एलपीजी कन्ट्रोल ऑडर 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है, उक्त आदेश की अवहेलना पाये जाने पर मौके से 14 एलपीजी सलेण्डर्स भरे सीलशुदा को जप्त सरकार किया जाकर सुरक्षा की दृष्टि से एन.सी.आर. इण्डेन के प्रतिनिधि रफीक खान को सुपुर्दगी में दिया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। एंव विभागीय प्रतिनिधी की बहस का मनन किया। उक्त प्रकरण में प्रवर्तन निरीक्षक तिजारा मुख्यालय अलवर हाल, खैरथल–तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) द्वारा एलपीजी कन्ट्रोल ऑडर 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है, उक्त आदेश की अवहेलना पाये जाने पर मौके से 14 एलपीजी सलेण्डर्स भरे सीलशुदा को जप्त सरकार किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रवर्तन निरीक्षक तिजारा मुख्यालय अलवर हाल, खैरथल–तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रवर्तन निरीक्षक तिजारा मुख्यालय अलवर हाल, खैरथल–तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है, प्रकरण में जब्तशुदा 14 एलपीजी सलेण्डर्स भरे सीलशुदा गैस सिलेण्ड को सुरक्षा की दृष्टि से सी. आर. इण्डेन के प्रतिनिधि रफीक खान को सुपुर्दगी में दिया गया है, से वापिस प्राप्त कर नियमानुसार राजसात की कार्यवाही सुनिश्चित करे। एवं की गयी कार्यवाही से न्यायालय को अवगत करावे। निर्णय प्रमाणित प्रति प्रवर्तन निरीक्षक तिजारा मुख्यालय अलवर हाल, खैरथल–तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर एवं जिला
मजिस्ट्रेट खैरथल–तिजारा